तारीख हुक्म	हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज स्टेट जरिये श्रीमती सरोज विश्नोई, प्रवर्तन अधिकारी, जिला रसद कार्यालय, बीकानेर : ब ना म : गौरीशंकर पुत्र रामरतन सुथार, निवासी पूगल रोड़, वार्ड नं. 2, बीकानेर (प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 6(ए) ई.सी.एक्ट,1955) मुकदमा संख्या 03/17	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

: आ दे श :

08.01.20

स्टेट की और से विभागीय प्रतिनिधि उपस्थित। अप्रार्थी/उनके अधिवक्ता हाजिर नहीं। अप्रार्थी/उनके अधिवक्ता के हाजिर नहीं आने पर पूर्व नियत पेशी पर स्टेट की और से उपस्थित विभागीय प्रतिनिधि की इकतरफा बहस सुनी गई।

विभागीय प्रतिनिधि द्वारा प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा अनाधिकृत रूप से 127 घरेलू उपयोग के गैस सिलेण्डर्स का उपयोग अपने व्यवसायिक स्थल पर किया जाना **लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (रेगूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर, 2000 के खण्ड 3(1)(सी), 3(2) तथा खण्ड 7(सी) का उल्लंधन तारीफ मे आता है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 की धारा 3/7** के तहत दण्डनीय अपराध है। विभागीय प्रतिनिधि द्वारा अपनी बहस का समापन करते हुए अप्रार्थी के कब्जे से जब्तशुदा 127 घरेलू गैस सिलेण्डर्स को बहक सरकार अधिहरण किये जाने की इस्तदुआ की।

हमने विभागीय प्रतिनिधि की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा अपने व्यवसायिक स्थल पर घरेलू गैस सिलेण्डर्स का उपयोग एवं भण्डारण किया जाना फर्द मौका जब्ती एवं सुपुर्दगी नामे से प्रमाणित है। इसके खण्डन में ना तो अप्रार्थी एवं अप्रार्थी की और से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा है एवं ना ही अप्रार्थी पक्ष की और से कोई आपति प्राप्त हुई है। परिणामतः अप्रार्थी का यह कृत्य पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अप्रार्थी द्वारा 127 **घरेलू गैस सिलेण्डर (प्रार्थना पत्र में अंकितानुसार) को** अपने व्यवसाय स्थल पर दुरूपयोग करते हुए वाणिज्यक प्रयोग लेना एवं भण्डारण किया जाना पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से प्रमाणित है। अप्रार्थी का उक्त कृत्य **लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (रेगूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर,2000 के खण्ड 3(1)(सी), 3(2) तथा खण्ड 7(1)(सी) के उल्लंधन** की तारीफ में आता है।

अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी धारा 6(ए) स्वीकार किया जा कर प्रश्नगत घरेलू गैस सिलेण्डर्स को एतद् द्वारा बहक सरकार अधिहरण **(Confiscate)** किये जाने के आदेश दिये जाते है। चूंकि उपर्युक्तानुसार सीजशुदा गैस सिलेण्डर **मैसर्स रूद्र भारत गैस, बीकानेर तथा मैसर्स शहीद दिलीपसिंह इंडेन गैस, बीकानेर** की सुपुर्दगी में सुरक्षित रखा हुआ है व इनका निस्तारण संबंधित ऑयल कंपनी द्वारा ही किया जाना है। अतः यदि संबंधित ऑयल कम्पनी प्रश्नगत गैस सिलेण्डर्स को किसी उपभोक्ता के हक में कनेक्शन नये सिरे से देती है तो कनेक्शन से प्राप्त होने वाली राशि को राजकोष में जमा कराएं। और कम्पनी यदि सिलेण्डर्स को उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं पाती है तो **D.S.O. / स्टॉफ** के समक्ष इसको **Destroy** करें एवं **Destroy** के पश्चात् उसके स्क्रेप तथा गैस रिफलिंग मशीन/मोटर को सार्वजनिक निलामी **(Public auction)** के जरिये नीलाम करें तथा नीलामी से प्राप्त होने वाली राशि को राजकोष में जमा करावें। इस आदेश की प्रति **D.S.O.** व संबंधित ऑयल कम्पनी को पालनार्थ भेजी जावे। मिसल फैसल शुमार की जा कर नम्बर से कम हो व बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 08.01.20 हमारे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली बाद तकमील तामील दाखिल दफतर हो।

(कुमार पाल गौतम)
जिला कलक्टर, बीकानेर